भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4208
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अचानक कार्यान्वयन का एमएसएमई पर प्रभाव

4208. श्री सनातन पांडेयः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 13 जून 2025 का गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), जिसके तहत इस्पात उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल और इनपुट के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया था, के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिए बिना जारी किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने अर्ध-तैयार इस्पात के आयात पर निर्भर एमएसएमई पर इस अचानक कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार को व्यापार निकायों से आपूर्ति में व्यवधान, लागत में वृद्धि और अनुपालन चुनौतियों को रेखांकित करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का यह देखते हुए कि आयातकों के पास अनुपालन के लिए एक कार्यदिवस से भी कम समय था, कार्यान्वयन समय-सीमा को संशोधित करने या छूट अवधि प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस्पात खरीद में लंबी समय-सीमा के बावजूद इतने त्वरित कार्यान्वयन के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जून, 2025 को कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी नहीं किया गया है। दिनांक 13 जून, 2025 के स्पष्टीकरण का उद्देश्य देश में निम्नस्तर इस्पात की खपत को समाप्त करना तथा विदेशी विनिर्माताओं और घरेलू विनिर्माताओं के बीच समानता लाना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 13 जून, 2025 के स्पष्टीकरण के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं:-

(i) दिनांक 15 जुलाई, 2025 को या उससे पहले ऑन बोर्ड की तारीख पर भेजे गए बिल ऑफ लैडिंग के साथ इस्पात उत्पादों के आयात के लिए इनपुट स्टील की अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता से छूट दी गई है।

(ii) एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अंतिम उत्पादों के लिए इनपुट स्टील की अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा ऐसे लाइसेंसों के सत्यापन के बाद छूट दी जाएगी।

*****